रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2369] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 31, 2015/कार्तिक 9, 1937
No. 2369] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31, 2015/KARTIKA 9, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2974(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1927 (अ) दिनांक 16 जुलाई, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3 उपखंड (ii) में दिनांक 16 जुलाई, 2015 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

(क) जिला ''कुरनूल'' से संबंधित क्रम सं. 01 के सामने, स्तम्भ 4 में पुलिस स्टेशन ''अडोनी'' के नीचे स्तम्भ 5 में ''एस. कोडापुरम'' और ''कापटी'' गांव अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ख) जिला ''कुरनूल'' से संबंधित क्रम सं. 01 के सामने, स्तम्भ 4 में पुलिस स्टेशन ''येमिगानूर'' के नीचे स्तम्भ 5 में ''गुडेकल्लू'' और ''येमिगानूर'' गांव अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ग) जिला ''कुरनूल'' से संबंधित क्रम सं. 01 के सामने, स्तम्भ 4 में पुलिस स्टेशन ''पेडकाडुबुर'' के नीचे स्तम्भ 5 में ''एच. मुर्रावन्नी'' गांव अंत:स्थापित किया जाएगा ।

(घ) जिला ''कुरनूल'' से संबंधित क्रम सं. 01 के सामने, स्तम्भ 4 में पुलिस स्टेशन ''मंत्रालयम'' के नीचे स्तम्भ 5 में ''मंछाला'' गांव अंत:स्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12011/19/2015-एपी/पी-7]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2015

S.O. 2974(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act.1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1927 (E) Dated 16th July, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th July, 2015.

In the Schedule to the said Notification

(a) Against Serial No.01 relating to Kurnool district under.4th column for Adoni Police Station Adoni, S.Kondapuram and Kapati villages shall be inserted in column No.5

(b) Against Serial No.01 relating to Kurnool district under 4th column for Yemmiganur Police Station Gudekallu and Yemmiganur villages shall be inserted in column No.5

(c) Against Serial No.01 relating to Kurnool district under 4th column for Peddakadubur Police Station H.Muravani village shall be inserted in column No.5

(d) Against Serial No.01 relating to Kurnool district under 4th column for Mantralayam Police Station Manchala village shall be inserted in column No.5

[F. No. RW/NH-12011/19/2015-AP/P-7]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.